ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 1 जनवरी-फरवरी 2020

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

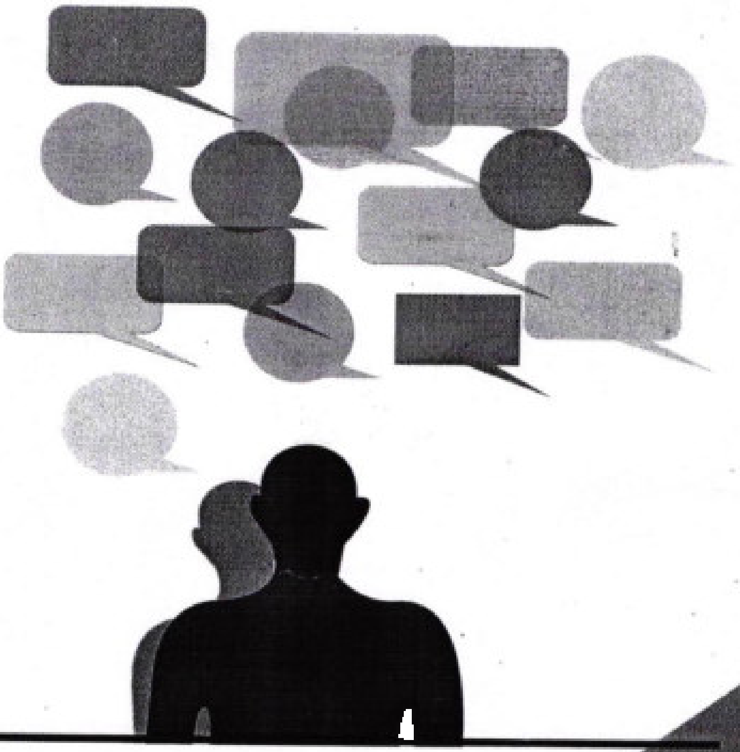

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

स्नातक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों के व्यावसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन–रवि; डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह
माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र के आधार पर शिक्षकों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन–शारदा प्रसाद सिंह; डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह
उत्तर भारत की जनजातियों में जल, जंगल एवं जमीन की समस्यायें एवं समाधान–अवन्तिका
आंचलिक उपन्यास: स्वरूप और उपकरण–डॉ० चिम्मन
अकादमिक पुस्तकालय सेवाएँ एवं ई०–संसाधन अनुप्रयोग: उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक अध्ययन–कुँवर संजय भारती; प्रतिमा शर्मा
भारतीय पत्रकारिता पर औपनिवेशिक संस्कृति का प्रभाव–मुन्ना लाल पाल
डॉ० जयप्रकाश कर्दम की कहानियों में नारी जीवन–श्रीमती पंकज यादव
वृद्ध कल्याण: चुनौतियां एवं समाधान–डॉ० शैलेन्द्र सिंह
दलित जीवन को उजागर करती आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन–डॉ० ज्योति गौतम
भारत की आर्थिक समीक्षा में मानव विकास का अध्ययन–इन्दु आसेरी
मध्यकालीन समाज में स्त्री और मीराबाई–डॉ० दीप कुमार मित्तल
अवध में महिला प्राथमिक शिक्षा की स्थिति–गणेश कुमार
महिला समर्थित अधिनियम एवं उच्च शिक्षा की महिला अध्येताओं की संचेतना–वन्दना शर्मा; प्रो० वन्दना गोस्वामी; डॉ० अजय सुराणा
साठोत्तरी हिन्दी कविता की प्रकृति–डॉ० श्रीनिवास सिंह यादव
भारत में महिलाओं की स्थिति और विकास का एक अध्ययन–डॉ० अनिल झा
आधुनिक भारतीय राजनीति में वंशवाद–दीपक कुमार राय
शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक मूल्यों का अध्ययन–डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय
चन्द्रकिरण सौनरेक्सा के कहानी संग्रह 'आधा कमरा' की समीक्षा: एक दृष्टि–विनोद कुमार सिंह
प्रणव ध्यान: योगोपनिषदों के आलोक में–नम्रता चौहान; डॉ० शाम गणपत तिखे
पंचकोशीय स्वप्रबन्धन: एक यौगिक दृष्टि–अखिलेश कुमार विश्वकर्मा; डॉ० शाम गणपत तिखे; डॉ० उपेन्द्र बाबू खत्री
वेदांत दर्शन में ध्यान का स्वरूप–धनंजय कुमार जैन; डॉ० उपेन्द्र बाबू खत्री
भारत में पर्यावरण और जलवायु से जुड़े खतरे–डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
संस्कृत भाषा की उत्पत्ति एवं प्रवृत्ति एवं पाणिनि का योगदान–डॉ० योगिता मकवाना
शहरीकरण के प्रभाव और प्रबंधन–रमावतार आर्य
सामाजिक मानव मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में आज की हिन्दी कविता–प्रद्योत कुमार सिंह
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था-समस्या और समाधान–डॉ० आयशा अहमद
पंचायती राज व्यवस्था व महिला नेतृत्व–डॉ० राम नरेश टण्डन
वर्तमान में नक्सलवाद: समस्या एवं समाधान–डॉ० भूपेन्द्र कुमार
ग्राम स्वराज एवं ग्रामीण विकास पर महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता–डॉ० विजय कुमार साहू
आयुर्वेद के अनुसार स्वःश्वासकाल में आहार: एक अध्ययन–नेहा सैनी; डॉ० तिखे शाम गणपत
पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज और गोरखनाथ–डॉ० सर्वेश चन्द्र शुक्ल
पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण की अवधारणा–डॉ० प्रमोद यादव; आशीष नाथ सिंह
"छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के संबंधों का एक व्यवहारिक अध्ययन" (राज्य मंत्रालय के विशेष संदर्भ में)
–डॉ० (श्रीमती) अलका मेश्राम; डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; दीपा
औद्योगिकीकरण का ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव–डॉ० जवाहर लाल तिवारी; दिनेश कुमार
रायपुर जिले के विकास में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की भूमिका का एक राजनैतिक विश्लेषण
–डॉ० (श्रीमती) रीना मजूमदार; डॉ० प्रमोद यादव; फैसल कुरैशी
ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका–डॉ० प्रमोद यादव; कमल नारायण
महिला आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का एक राजनीतिक विश्लेषण
(रायपुर जिले के ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में)–डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; खेमप्रभा धृतलहरे
आर्थिक एवं सामाजिक विकास में आने वाली समस्याओं के कारण एवं निवारण में जिला प्रशासन की भूमिका
–डॉ० (श्रीमती) अलका मेश्राम; डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; रामकृष्ण साहू

Arts & Commerce ... DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

16

छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था-समस्या और समाधान

डॉ० आयाश अहमद

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), एस. आर. सी. एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सारांश:- प्राचीन काल में भारत के पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें पंचों को समाज में न्याय करने वाले के रूप में ईश्वर के सदृश्य सम्मान प्राप्त था स्वतंत्रता के पश्चात् भी इनकी प्रासंगिकता बनी रही, इसलिए भारत में पंचायती राजव्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था का सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, जो केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती है, उनके द्वारा ही शासकीय एवं कार्यों का विकेन्द्रीयकरण किया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् बहुत से विषयों पर सफल रही परन्तु कुछ मायनों में यह संस्था ग्रामीण जनता में नई आशा और विश्वास में असफल रही है, और असफलता का मुख्य कारण ग्रामीणों में चेतना का अभाव है। समाज के ग्रामीण विकास के लिए व पंचायती राज व्यवस्था का तभी सफल हो सकती है जब पंचायती राज व्यवस्था को प्रदेश स्तर पर कारगर रूप से लागू किया जाय

मुख्य शब्द:- पंचायती राज व्यवस्था-समस्या और समाधान

प्रस्तावना

"भारत गाँवों का देश है, जिसकी पूरी समृद्ध ग्रामीण परिवेश में केन्द्रित है।" प्राचीन काल में भारत के पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें पंचों को समाज में न्याय करने वाले के रूप में ईश्वर के सदृष्य सम्मान प्राप्त था। पूर्वकाल में स्थानीय प्रशासन शांति व्यवस्था एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। स्वतंत्रता के पश्चात् भी इनकी प्रासंगिकता बनी रही, इसलिए भारत में पंचायती राजव्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था का सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है।

भारत जैसे देश में जहाँ 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, वहाँ पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय शासन का महत्व है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही इस योजना का प्रारंभ माना जाता है। 2 अक्टूबर का दिन गाँधी जी के जन्मतिथि होने के कारण चुना गया, और इस दिन का चयन इसलिए किया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की प्रबल इच्छा थी कि भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो।

गांधी जी ग्रामों के हितों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते थे। वे ग्रामीण जीवन का पुर्ननिर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव मानते थे। भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भलीभाँति परिचित थे, अतः हमारी स्वाधीनता को साकार करने और उसे स्थायी बनाने के लिए ग्रामीण शासन अवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान में यह निर्देश दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके।

भारतीय जनतंत्र इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन के कार्यों पर हाथ बटाये और अपने पर शासन करने का उत्तरदायित्व स्वयं प्राप्त करें। ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज ही एक उपयुक्त योजना है। पंचायत ही हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है, जिसमें गणतंत्र के समस्त गुण पाये जाते हैं। प्रजातंत्र की सार्थकता विकेन्द्रीयकरण में है। यदि शक्तियाँ विकेन्द्रित हो तो जनता की सहभागिता में वृद्धि होगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जावेगा।

स्थानीय लोगों को अपने आसपास की समस्याओं का ज्ञान तो है उसका समाधान भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है। लेकिन इसे सरकारी कार्यक्रम की तरह चलाया गया, परिणामस्वरूप यह योजना जनता को आकर्षित नहीं कर सकी।

1957 में बलवंतराय मेहता समिति ने जनसहभागिता में वृद्धि के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण की योजना प्रस्तुत की इस योजना को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्घाटित किया गया और यही से पंचायती राज व्यवस्था की पूर्णरूपेण नींव रखी गई।

1985 में डॉ.जी.वी.के. राव की अध्यक्षता के नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन के आधार बनाने और पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव कराने व सुधार की सिफारिश की 1987 में पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा और उनमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए डॉ.लक्ष्मी सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया जो ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अधिक आर्थिक संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी। मई 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा प्रचलित राज प्रणाली की पर्याप्तताओं को दूर करने के लिए 64वां संशोधन विधेयक बिल लोकसभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. Colle

तथा जो पारित हो सकता था लेकिन आज व्यवस्था से जुड़ी अन्य सभी संस्थाओं व राजनीतिक दलों की जो दुर्दशा है वही पंचायतों में पाई जाती है, जिसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।

पंचायती राज की आवश्यकता

पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, जो केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती है, उनके द्वारा ही शासकीय एवं कार्यों का विकेन्द्रीयकरण किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने पर इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी चुनी संस्थाओं में न रखकर गांव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंच जाती है, जिससे के इनके अधिकार और कार्यक्षेत्र बढ़ जाते हैं। स्थानीय व्यक्ति स्थानीय समस्यों को अच्छे ढंग से सुलझा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों की स्थानीय समस्याओं एवं परिस्थितियों को अधिक गहराई से जानते व समझते हैं। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ किये गये राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों को सुचारू पूर्ण ढंग से चलना भी मुश्किल हो जाता है, इस प्रकार पंचायत स्तर पर स्वस्थ्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए ठोस आधार प्रदान करती है, शासन सत्ता ग्रामवासियों के हाथ में चले जाने से प्रजातांत्रिक संगठनों के प्रति उनकी रूचि जागृत होती है। पंचायती राज व्यवस्था के स्थापित होने से यह संख्या ग्राम व देश के लिए प्रभावी नेतृत्व तैयार करती है। विधायकों तथा मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे ग्रामीण भारत की समस्या से अवगत हो, इस प्रकार गांवों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एक विकास कार्यों में जनता की रूचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान रहता है।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पंचायत एक प्रारंभिक प्रयोगशाला की तरह है। यह नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। पं. नेहरू ने स्वयं कहा था कि ''मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ मैं महसूस करता हूँ कि भारत में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है।

छत्तीसगढ़ राज्य के परिपेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था

1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अस्तित्व में आया चूंकि पिछड़े राज्यों के श्रेणी में रहने के कारण पंचायती राज व्यवस्था अधिक कारगर है, और इस विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था से ही राज्य का संपूर्ण विकास संभव हो सकेगा। छत्तीगढ़ राज्य निर्माण के बाद कुछ प्रशासकीय जटिलताएँ इतनी अधिक बढ़ी है, कि प्रशासकीय को एक ही स्थान पर हो पाना संभव नहीं है। विकेन्द्रीयकृत सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व को इस आधार पर विभाजित किया जा सकता है, कि मुख्यालय एवं क्षेत्रीय इकाईयों की तरह कार्य करने का सहज अवसर मिलता है, और जो हमें केन्द्रीय व्यवस्था में मिलता है उनसे स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है।

वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में अभी विकास की अनेक जनकल्याणकारी योजना शासन के द्वारा संचालित कि जा रही हैं, जिसका क्रियान्वयन पंचायत स्तर से करवाना हैं और इससे विकास को बिल्कुल तेज गति मिल जाएगी और ग्राम विकास की दिशा में अग्रसित हो जायेगा।

समस्या

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् बहुत से विषयों पर सफल रही परन्तु कुछ मायनों में यह संस्था ग्रामीण जनता में नई आशा और विश्वास में असफल रही है, और असफलता का मुख्य कारण ग्रामीणों में चेतना का आभाव है। इनके बावजूद कुछ अन्य समस्याएँ भी है, जो इनको और कमजोर कर रहा है। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण तक नहीं पहुँच पाता है, जो वास्तव में जरूरतमंद है इस चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों से संबंधित तंत्रों के कारण अधिक बढ़ती जा रही।

विकास की प्रमुख समस्याए निम्न है:-

1. अशिक्षा और निर्धनता:- ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और निर्धनता की विकट समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण समुदायों व नेतृत्वों के संकीर्ण स्तरों से ऊपर 38 नहीं सकते ऐसी स्थिति में ग्रामीण व्यक्ति पंचायती राज की आवश्यकता और महत्व के विषय में अज्ञानता और निर्धनता के कारण कुछ भी नहीं कर पाते हैं।
2. दलगत राजनीति:- पंचायती राज की सफलता में दलगत राजनीति भी विशेष रूकावट रही है। पंचायतें स्थानीय राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है, यदि हमारे राजनीतिक दल पंचायतों के चुनावों में हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो पंचायतें को दूषित राजनीति से बचाया जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता का पहला शर्त सत्ता का स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरण करना है, यह तभी संभव है अब राजनीतिक प्रेरणा निचले स्तर से शुरू हो कर उच्च स्तर केवल मार्गनिर्देशन का कार्य करे। राज्य इन संस्थाओं को अपने आदेशों का पालन करने वाला ऐजेन्ट मात्र न समझे इसके लिए नौकरशाही की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है।
3. अधिकारी व पदाधिकारी के बीच समन्वय:- राजनीति निर्माण होता है, तथा समन्वय किया जाता है तो वह जिले के विकास कार्यक्रमों में अवरोध का कार्य करता है, जिससे विकास कार्य शिथिल पड़ जाता है। विकास कार्यों आप नवीन योजनाओं के निर्माण कार्य व क्रियान्वयन में समस्या आती है, न विकास कार्य यथोचित नही हो पाता है।
4. आर्थिक संसाधन का अभाव:- ग्राम पंचायतों में आर्थिक समस्या शुरू से रही है, इन संस्थाओं को पास स्वतंत्र अन्य आर्थिक स्त्रोतों की कमी रहती है, इन्हे शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है, अतः पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए शासकीय अनुदानों के अभाव में विकास कार्य का किया जाना संभव नहीं है।
5. जागरूकता का अभाव:- गामीणों में जनजागरूकता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जो पंचायती राज व्यवस्था के सफलता में रूकावट उत्पन्न करती है। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का अभाव है, उन्हें किसी भी विषय में पूर्ण जानकारी न होने के कारण पंचायत स्तर पर समस्या उत्पन्न होती है।

Seth R.C.S. Arts & Commerce DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

16

6. वंशवादी परंपरा:- स्थानीय निकायों पर स्थानीय सांसदों मंत्रियों और विधायकों व प्रभावशाली नेताओं के घरानों एवं रिश्तेदारों का कब्जा होते जा रहा है जो ग्रामीण व स्थानीय निकाय स्तर पर वंशवाद की परंपरा को बढ़ावा दे रहा है।
7. महिला आरक्षण व्यवस्था:- स्थानी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं का आरक्षण अर्थहीन हो गया है, क्योंकि निर्वाचन में विजयी महिलाएँ होती है, परन्तु कार्यों की देख-रेख के लिए सरपंच पति नामक एक नये पद का सृजन पुरूष प्रधान समाज के द्वारा कर लिया गया है, जिस कारण ग्राम स्तर के सभी कार्यों में इनका हस्तक्षेप होने लगा है।
8. योजना के क्रियान्वयन में अरूचि:- किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विकासात्मक योजनाओं के निर्माण से कार्य खत्म नहीं हो जाता बल्कि उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ही वह सफल माना जाता है, वैसे तो केन्द्र और राज्य एवं स्थानीय शासन द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएँ तो बनती है, परन्तु उनके क्रियान्वयन का कार्य बहुत ही अरूची पूर्ण रूप से कार्य किया जाता है।

समाधान

प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सार्थकता तभी है जब देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था गांवों से लेकर संसद तक प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी हो। भारत में गांव आर्थिक समृद्धि के प्रतीक है। अतः देश तभी समृद्ध हो सकता है, जब कि इसकी आत्मा के रूप में गांवों की प्रगति हो और गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है।

1. अनुभव व कार्य कुशलता:- शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए ताकि वे अपने अनुभवों व कार्य क्षमता के आधार पर कार्य कर सकेंगें।
2. कार्य अवधि की निश्चिता:- प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों की प्रस्तावित फाइलों की यथोचित कार्यवाही के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना चाहिए ताकि सभी कार्यों का सफल क्रियान्वयन हो सके।
3. राजनीतिक दल का नियंत्रण:- राजनीतिक दल व हाई कमानों का नियंत्रण समय-समय पर होना चाहिए, ताकि इनका मनोबल लगन एवं ईमानदारी से कार्य करते रहे, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा।
4. आय के स्त्रोत में वृद्धि:- प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आय के पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था शासन व स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
5. मूल्यांकन की व्यवस्था:- विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकास कार्यों का नियोजन व उनका क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन समय-समय पर किया जाना चाहिए, जिससे विकास कार्यों में सभी पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा।
6. अधिकारी और कर्मचारी का सहयोग:- कर्मचारी व अधिकारियों व आम जनता को योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन को सहयोग प्राप्त हो सके।
7. समन्वय समिति का निर्माण:- शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय समिति का निर्माण किया जाना चाहिए जो शासन के योजनाओं के क्रियान्वयन में निगरानी कर भ्रष्टाचार पर रोक लगा सके।
8. जागरूकता में वृद्धि:- प्रशासन के क्रियान्वयन योजनाओं के प्रति जनता में जागरूकता होना अत्यन्त आवश्यक है इसके लिए सभी प्रशासनिक योजना की जानकारी विभिन्न माध्यमों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि जनता में जागरूकता की वृद्धि हो सके।

निष्कर्ष:- समाज के ग्रामीण विकास के लिए व पंचायती राज व्यवस्था का तभी सफल हो सकती है जब पंचायती राज व्यवस्था को प्रदेश स्तर पर कारगर रूप से लागू किया जाय तथा पंचायती राज व्यवस्था को दलगत राजनीति से दूर रखा जाय यह तभी संभव है, जब पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त कर दिया जाय।

शासन व आम जन मानस को अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदारी को सक्रियता से निभाने का प्रयास करना चाहिए, जब तक शासन व आम जनमानस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं करेगा तब तक पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. यादव डॉ.वीरेन्द्र सिंह नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण अवधारणा एवं सरोकार, ओमेगा पब्लिकेशन, 2010 पृ. 45, नई दिल्ली
2. जोशी डॉ. ओम प्रकाश ग्रामीण एवं नगरीय समाज शास्त्र दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन दिल्ली 1992
3. अग्रवाल सिखा: राजनीतिक परिदृश्य में नारी, पाईन्टर पब्लिकेशन, 2001, पृष्ठ 155, नई दिल्ली
4. पाठक इन्दु राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र मार्च, वर्ष 2007 53 अंक 5 पृष्ठ 28, नई दिल्ली
5. गुप्ता एम.एल सामाजिक संरचना एवं समाजिक परिवर्तन दीप पब्लिकेशन 1990
6. अवस्थी महेश्वरी भारत में पंचायती राज लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा 2002
7. उमावत ललित पंचायती राज महिला समूह का उभरता नेतृत्व, क्लासिकल पब्लिसिंग कंपनी, 2004 पृष्ठ 61, नई दिल्ली
8. द्विवेदी डॉ. राधेश्याम पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाऊस पब्लिकेशन, 2005 पृष्ठ 44, भोपाल
9. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह: पंचायत राज एवं महिला नेतृत्व: प्रथम संस्करण रावत पब्लिकेशन्स, 2000, पृष्ठ संख्या 136, जयपुर

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)